

**बिहार सरकार**  
**खेल विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०-01/स्था०-26(निय०)-01/2024/2638

पटना-15, दिनांक-15.06/2025

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खेल विभाग के अधीन बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। :-**

- (i) यह नियमावली "बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रवृत्त होगी।

**2. परिभाषाएँ। :-** इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) "खेल" से अभिप्रेत है सभी शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियाँ, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से की जाती हो तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हों। इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा विहित नियमों और विनियमों द्वारा भी विनियमित किया जाना चाहिए और ओलम्पिक खेलों/एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/राष्ट्रीय खेलों में खेला जाना चाहिए।
- (ii) "खेल आयोजन" से अभिप्रेत है खेल से संबंधित कोई भी आयोजन, जिसमें व्यक्तिगत, दोहरी और टीम स्पर्धाएँ शामिल हैं, जिसे उस खेल को संचालित करने वाले प्राधिकृत खेल निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- (iii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;
- (iv) "विभाग" या "नियंत्री विभाग" से खेल विभाग अभिप्रेत है;
- (v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;
- (vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
- (vii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग;
- (viii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;
- (ix) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति;
- (x) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

2

### 3. संवर्ग की संरचना। :-

(i) इस संवर्ग की संरचना निम्न रूप में होगी-

| क्र०<br>सं० | पदनाम             | स्तर     | स्थिति     |
|-------------|-------------------|----------|------------|
| 1           | क्रीड़ा प्रशिक्षक | मूल कोटि | अराजपत्रित |

- (ii) इस संवर्ग की मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
- (iii) इस संवर्ग के लिए स्वीकृत पदों का स्वीकृत बल वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित/स्वीकृत की जायेगा।
- (iv) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।
- (v) इस संवर्ग के पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित/स्वीकृत किया जायेगा।
- (vi) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग में नियत तिथि के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत क्रीड़ा प्रशिक्षक इस संवर्ग के क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर स्वतः नियुक्त एवं कार्यरत समझे जायेंगे।
- (vii) इस संवर्ग के सदस्यों को राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा। संवर्ग के किसी भी सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप किसी गैर-संवर्गीय पद पर पदस्थापित या प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

### 4. पात्रता/अर्हता। :-

- (i) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होगी।
- (ii) अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (भारतीय खेल प्राधिकरण) द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर अथवा केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSC) पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार खेल विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (iii) खेल उपलब्धि- किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ओलम्पिक खेल/राष्ट्रमंडल खेल/एशियाई खेल/विश्व चैंपियनशिप/एशियाई चैंपियनशिप या अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल हो या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप/राष्ट्रीय चैंपियनशिप कम से कम दो (02) बार या अंतर सेवा

प्रतियोगिता/अखिल भारतीय पुलिस खेल/अंतर रेलवे चैंपियनशिप में तीन (03) बार भाग लिया हो।

- (iv) विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

**5. चयन की प्रक्रिया। :-**

- (i) विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्तियों की गणना कर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को उपलब्ध करायेगी।
- (ii) प्राप्त अधियाचना के आधार पर चयन के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा।
- (iii) विज्ञापन के आलोक में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषय/साक्षात्कार एवं पाठ्यक्रम का अवधारण शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यतानुसार प्रक्रिया का निर्धारण आयोग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के नियमित कोर्स के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर विभाग के परामर्श से किया जायेगा।
- (iv) आयोग द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुरूप आरक्षण कोटिवार नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को की जायेगी।
- (v) आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। पदीय कर्तव्य को दक्षतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विभाग द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित शारीरिक मापदण्ड पूरा नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा समाप्त कर दी जायेगी।

**6. आरक्षण :-** संवर्ग में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

**7. वरीयता :-**

- (i) नियत तिथि से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत सदस्यों की पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
- (ii) नियत तिथि के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत सदस्य, नियत तिथि के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों से वरीय होंगे।
- (iii) संवर्ग में नवनियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रम के अनुसार होगी।

**8. परीक्षा अवधि :-**

- (i) संवर्ग की मूल कोटि में नियुक्त सदस्य पदग्रहण की तिथि से 01 वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेंगे। यदि परीक्षा अवधि के दौरान सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो कारणों को दर्ज करते हुए इसे 01 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

यदि बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।

- (ii) परिवीक्षा अवधि में नवनियुक्त सदस्य को विभाग द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

9. **सम्पुष्टि** :—संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने, परिवीक्षा अवधि में यथाविहित प्रशिक्षण पूरा करने तथा मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सेवा सम्पुष्ट की जाएगी।
10. **प्रशिक्षण** :— इस संवर्ग के सदस्य को राज्य द्वारा विहित अवधि के लिए राज्य में या राज्य/देश के बाहर उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण या राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर या कार्यक्रम अनुभव के लिए भेजा जाएगा।
11. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्य विवरण** :—नवनियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षकों को विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा का विषय, पाठ्य विवरण एवं प्रक्रिया केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।
12. **अवशिष्ट मामले** :— राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के लिए लागू प्रावधान इस संवर्ग के सदस्यों पर भी उस मामले या मामलों के संदर्भ में लागू होंगे जिनके संबंध में नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
13. **कठिनाइयों को दूर करना** :—
  - (i) यदि सरकार की राय में, नियमावली के किसी प्रावधान के लागू होने से सेवा के किसी सदस्य या सदस्यों के समूह को अनुचित कठिनाई होती है, तो सरकार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक सीमा तक ऐसे प्रावधान (प्रावधानों) को शिथिल कर सकेगी।
  - (ii) इस नियम के अन्तर्गत कोई भी छूट केवल आसाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी तथा यह इस नियमावली के उद्देश्यों और भावना के असंगत नहीं होगी।
  - (iii) इस छूट से किसी व्यक्ति या समूह को कोई अनुचित लाभ या अधिमान्यता प्रदान नहीं की जाएगी तथा ऐसे किसी भी आदेश को पारदर्शिता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
  - (iv) सरकार वरीय पदाधिकारियों और विषय-वस्तु विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर सकेगी जो यह जाँच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या प्रत्येक मामले में छूट देना न्यायोचित है।
14. **निर्वचन** :— जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह हो, वहाँ विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

2

### 15. निरसन और व्यावृत्ति :-

- (i) इस संवर्ग के सदस्यों के संदर्भ में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा अधिसूचित "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली, 2018" को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व नियमावली/संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा, मानो यह नियमावली उस दिन लागू थे जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या निर्णय लिया गया था।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*26/06/25*

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०-01/स्था०-26(निय०)-01/2024/26.38... पटना-15, दिनांक 10.06/2025  
प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण  
अंक में प्रकाशन हेतु तथा इसकी 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

*26/06/25*

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

*Veer*